Put up — 21

0.

Limitation condoned Allowed with cost 2000/- pay to State.

Admit

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विविध वाद–09 / 2025

रविन्द्र प्रसाद..............................वादी

बनाम

नवल ठाकुर वगैरह..प्रतिवादीगण

24.06.25 आवेदक की ओर से अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम के तहत दिनांक–30.04.2025 को आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि विभाजन वाद सं0–18 / 2020 दिनांक–08.09.2023 को खारिज हो गया था जिसके आलोक में विविध वाद सं0–09 / 2025 दाखिल किया गया है। यह विविध वाद समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किए जाने के कारण के रूप में आवेदक का बीमार होना बताया गया है। अतः निवेदन करते हैं कि परिसीमा आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को ग्रहण के बिन्दु पर सुना जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, चूँकि विविध वाद सं0–09 / 2025 मूल वाद के खारिजी आदेश के काफी समय बाद हुआ है। अतः आवेदक का दिनांक–30.04.2025 को दाखिल आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे मो0 2000 / – रुपये की राशि नजारत में सरकार के पक्ष में दाखिल करें। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा फिस्त सबूत के साथ नजारत रसीद सं0–7, दिनांक–24.06.2025 के द्वारा मो0 2000 / – रुपये जमा कर इसका रसीद न्यायालय में दाखिल किया गया। अभिलेख को वाद–ग्रहण के बिन्दु पर नियत किया जाता है।

पश्चात् भोजनावकाश पश्चात् आवेदक के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विविध वाद सं0–09 / 2025 विभाजन वाद सं0–18 / 2020 के खारिजी आदेश को अपास्त करते हुए पुनर्जीवित करने हेतु लाया गया है। सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। सिरिस्तेदार द्वारा उपरोक्त वाद के संबंध में साकारात्मक प्रतिवेदन वादपत्र पर अंकित है। आवेदक द्वारा वाद–ग्रहण के आलोक में पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया जा चुका है। अतः आवेदक का विविध आवेदन न्यायहित में ग्रहण किया जाता है तथा आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के सात दिनों के भीतर विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन का उपकरण दाखिल करें।

वाद दिनांक– 16-09-2025 वास्ते करने दाखिल सम्मन का आपेक्ष आवेदक की ओर से।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।